बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–166/2019(पार्ट) 1524 /पटना, दिनांक :– 15-9-22

श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा कार्य प्रमंडल, बेतिया के अधीन L0-141 थवईया–सिखईया पथ निर्माण कार्य में भुगतान के विरूद्ध कम कार्य कराने, स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत एवं विशिष्टयों के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप में श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या–40–सह–पठित ज्ञापांक 41 अनु0 दिनांक 03.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय संकल्प संख्या–1002 दिनांक 28.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4277 दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।

3. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4277 दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या–544 सह–पठित ज्ञापांक–545 दिनांक 12.03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. श्री सिंह के संदर्भ में मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4277 दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया को आरोप मुक्त किये जाने का मंतव्य दिया गया है।

5. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त मंतव्य के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

6. अतएव उक्त के आलोक में प्रश्नगत मामले में श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को आरोप मुक्त किया जाता है।

श्री सिंह के निलंबन अवधि का विनियमन पर निर्णय बाद में लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/9/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–166/2019(पार्ट) 1525 /पटना, दिनांक :– 15-9-22

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/2022

विशेष सचिव

कृ0पृ0उ0

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–166/2019(पार्ट) 1525 /पटना, दिनांक :– 15-9-22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/भागलपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/2022

विशेष सचिव